

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(एल-25, रामगंगा विहार-प्रथम फेज, निकट सोनकपुर स्टेडियम, कॉट रोड, मुरादाबाद-दूरभाष संख्या-0591-2450066)

पत्रांक 1866 / 141 दिनांक, मुरादाबाद, 17 जनवरी, 2022.

सेवा में,

सहायक जनरल मैनेजर,
टोरेट गैस प्रा0 लि0,
प्रथम तल, मंजौली चौराहा,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

विषय:-

जनपद मुरादाबाद में टोरेट गैस प्रा0 लि0, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कांठ मार्ग (एस0एच0-49) कि0मी0 चैनैज 6.870 से 22.215 तक बाँयी पटरी एवं कि0मी0 चैनैज 6.870 से 22.215 से 30.570 तक दाँयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने जाने हेतु 1.4118 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्षा पातन की अनुमति के सम्बंध में।(प्रस्ताव सं0-एफ0पी0/यू0पी0/पाईपलाईन/49544/2020)

सन्दर्भ:-

सचिव, उ0प्र0 शासन का पत्रांक-म0स0/67/81-2-2021-800(81)/2021 दिनांक 31-12-2021।

उपरोक्त विषयक उ0प्र0 शासन के उक्त संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के उक्त संदर्भित पत्र दि0 31-12-2021 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त सं0-1 से 19(3) तक के संबंध में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-2501/11-सी0 दिनांक 24-05-2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ की पत्र सं0-384/2-37-2 (ई-पेमेन्ट पोर्टल) दि0 14-09-2015 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशानुसार वांछित सूचना/अभिलेख/प्रमाण पत्र (5 प्रतियाँ मूल में) अतिशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके:-

1. संरक्षित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
2. भूमिगत पाइपलाईन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।
3. पाइपलाईन हेतु खोदी गयी ट्रेंच की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।
4. प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट करना होगा की भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
5. प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
6. वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
7. प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुक्षरण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
8. भूमि का सरफेस राइट्स नहीं दिया जायेगा एवं वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
9. प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा नियोजन प्राधिकरण में वांछित धनराशि रू0-13,52,194.00/- (भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक-5-3/2011-एफ0सी0 (वोल-1) दिनांक 06-01-2022 के क्रम में) ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
12. भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफसी(पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-जे-11013/41/2006-आई0ए0-11(1), दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनुमति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।
13. प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
14. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98 एफसी, दि0 8-7-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।

14. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98 एफसी, दि० 8-7-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।
15. यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।
16. समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
17. परियोजना में गैस पाइपलाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन०पी०वी० का भुगतान किया जायेगा।
18. राजस्व सरकार के शासनादेश दिनांक 07-01-2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइपलाईन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार है:-
 - (1) सी०एन०जी/गैस पाइपलाईन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियाँ, जो लगातार गैस पाइपलाईन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अन्तर्शहरीय, शहर से ग्रामीण, अन्तर्जिला तथा एक प्रदेश से दुसरे प्रदेश होता है, उस कम्पनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 कि०मी० तीन लाईनों में वृक्षारोपण की शर्त यथावत् लागू रहेगी।
 - (2) ऐसी कम्पनियाँ, जो गैस पाइपलाईन के द्वारा केवल एक शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाइपलाईन बिछाती है अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है, उस कम्पनी को भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतया दुगुने अवनत वन या समतुल्य गैस वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रखरखाव के लिये निर्देशित धनराशि के समतुल्य धनराशि अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।
19. उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
 - (3) उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात् ही विधिवत् स्वीकृति प्रदान किया जायेगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक-यथोपरि।

पत्रांक

(1)/ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को विषयक क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- 3- क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुरादाबाद।
- 4- लेखा प्रभारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।


 (सूरज)
 प्रभागीय निदेशक,
 सामाजिक वानिकी प्रभाग,
 मुरादाबाद।


 (सूरज)
 प्रभागीय निदेशक,
 सामाजिक वानिकी प्रभाग,
 मुरादाबाद।

प्रेषक,

आशीष तिवारी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ० प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक, 31/12/2021

विषय-

जनपद- मुरादाबाद में टॉरेंट गैस प्रा०लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कांठ मार्ग (एस०एच०-49) किमी० चैनोज 6.870 से 22.215 तक बांयी पटरी एवं किमी० चैनोज 22.215 से 30.570 तक दांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 1.4118 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में। (प्रस्ताव सं० एफपी/यू०पी०/पाइपलाइन/49544/2020)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-2550/11-सी/-एफपी/यू०पी०/पाइप लाइन/49544/2020, दिनांक 01-04-2021, पत्र संख्या-4022/11-सी/-एफपी/यू०पी०/पाइप लाइन/49544/2020, दिनांक 30-06-2021, पत्र संख्या-1146/11-सी/-एफपी/यू०पी०/पाइप लाइन/49544/2020, दिनांक 13-07-2021 एवं भा०स० का पत्र, दिनांक 22-11-2021, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश के चैप्टर-4 के बिन्दु- 4.2 तथा पत्र संख्या-एफसी-11/165/2019/एफसी, दिनांक 27-7-2020 में विहित प्राविधानों के क्रम में जनपद- मुरादाबाद में टॉरेंट गैस प्रा०लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कांठ मार्ग (एस०एच०-49) किमी० चैनोज 6.870 से 22.215 तक बांयी पटरी एवं किमी० चैनोज 22.215 से 30.570 तक दांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 1.4118 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति विषयक प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबंधों पर प्रदान करते हैं-

- (1) सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
- (2) भूमिगत पाइपलाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।
- (3) पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।
- (4) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
- (5) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- (6) वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
- (7) प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
- (8) भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
- (9) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई० ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी०, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं अन्य

अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

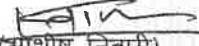
- (10) प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- (11) प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
- (12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-III(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।
- (13) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
- (14) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।
- (15) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।
- (16) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (17) परियोजना में गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।
- (18) राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार है:

(1) सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतर्शहरीय शहर से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है उस कंपनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी।

(2) ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाइप लाइन बिछाती हैं अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है उस कंपनी को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अंतर्गत सामान्यतया दुगुने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रखरखाव के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।

(19) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

3- उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जायेगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई निगम निरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1)-उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
- (2)- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- (3)- जिलाधिकारी, मुरादाबाद।
- (4)- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग, मुरादाबाद।
- (5)- असिस्टेंट जनरल मैनेजर, टोरेन्ट गैस प्रा0लि0, 1 फ्लोर, मझोली चौराहा, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
- (6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक-11सी-2015 / FP/UP/Pipeline/49544/2020 लखनऊ, दिनांक: जनवरी 05, 2022

प्रतिलिपि:- 1 वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के कम में प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक-2501/11-सी, दिनांक 24.05.2016 द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.09.2019 तत्कम में इस कार्यालय के पत्रांक-582/11सी दिनांक 17.09.2019 के द्वारा दिये गये निर्देश के कम में अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित 03 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- 2. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के कम में, प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कराकर तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक-2501/11 सी, दिनांक 24.05.2016 द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.09.2019 तत्कम में इस कार्यालय के पत्रांक-582/11सी दिनांक 17.09.2019 के द्वारा दिये गये निर्देश के कम में अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर सम्बन्धित अभिलेखों एवं इस कार्यालय के पत्रांक-2657/11 सी, दिनांक 15.06.2017 द्वारा प्रेषित उत्तर प्रदेश शासन का पत्र दिनांक 14.06.2017 के अनुपालन के क्रम में, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के पूर्णतः अनुपालन की स्थिति प्राप्त किये जाने हेतु स्थलीय जाँच करते हुये सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र संस्तुति सहित सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से 03 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- 3. असिस्टेंट जनरल मैनेजर, टोरेन्ट गैस प्रा0लि0, 1 फ्लोर, मझोली चौराहा, दिल्ली रोड, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कर भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.09.2019 तत्कम में इस कार्यालय के पत्रांक-582/11सी दिनांक 17.09.2019 के द्वारा दिये गये निर्देश के कम में अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


(अनुराग गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

महत्वपूर्ण/आवश्यक
(ई-मेल द्वारा)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक-250/11-सी- दिनांक, लखनऊ, मई 24, 2016

समस्त मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश।

विषय-

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वनभूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों पर अनुपालन आख्या प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार (मध्य क्षेत्र), लखनऊ का पत्रांक-II/FC/ROC/95-20011/Part-V/1222, dated 02.02.2016

भारत सरकार ने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02.02.2016 से अवगत कराया है कि उनके स्तर से वनभूमि हस्तांतरण के प्रकरणों पर जो आपत्तियाँ लगाई जाती हैं, उनके निराकरण में अधिकांश प्रकरणों में आपके द्वारा प्रान्तीय वन अधिकारी द्वारा दिये गये उत्तर पर कार्यवाही चलायी जा रही है। उसकी प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जाती हैं। यह स्थिति उचित नहीं है। इस केंद्र में भारत सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि वनभूमि हस्तांतरण के जिन प्रकरणों पर उनके द्वारा आपत्ति (Observations) लगायी जाती है, उन पर अनुपालन आख्या मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन संरक्षक द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रारूप में प्रेषित किया जाए-

Observ No	Observation of GOI	Reply
1		3
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

इसी प्रकार प्रारम्भिक स्वीकृति के उपरान्त अंतिम स्वीकृति निर्गत कराये जाने हेतु जो अनुपालन आख्या प्रेषित की जाती है, वह भी निम्न प्रारूप में प्रेषित की जाए-

Condition No	Conditions	Status of Compliance
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० कौम्या, लाखनऊ
 पत्रांक- २४४/२-३७-२ (e-payment portal) विनांक, लाखनऊ दिनांक २५.०८.२०१५

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी / निदेशक, उत्तर प्रदेश।

वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों के सापेक्ष क्षतिपूर्ति भुगतान, एन०पी०वी० आदि से सम्बन्धित याचक विभाग से प्राप्त क्षतिपूर्ति उगाही (Compensatory levies) को इलेक्ट्रानिक भुगतान (e-payment module) से जमा किया जाना।

इस कार्यालय का पत्रांक २४४/२-३७-२, दिनांक २५.०८.२०१५

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का काम पत्र संख्या-१२-२/२०१०-EAMAP दिनांक १४.०८.२०१५ उपरोक्त विषयक प्राप्त लेवीज को NIC के सहयोग से विकसित e-payment portal से जमा कराने पर एड-होक कौम्या द्वारा भुगतान स्वीकार किया जाना।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि १४ सितम्बर २०१५ तक भुगतान e-payment portal से किया जाना वैकल्पिक (optional) होगा। इसकी सचरान्ता अप्रति १५ सितम्बर, २०१५ से भुगतान सिर्फ e-payment portal के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।

उक्त मामले में भारत सरकार के पत्र संख्या-१२-२/२०१०-EAMAP दिनांक १४.०८.२०१५ द्वारा सूचित किया गया है भुगतान e-payment portal पर अब १४ अक्टूबर, २०१५ से लागू होती जाएगी। अतः भारत सरकार के उक्त पत्र की स्वीकृति स्वीकार कर अप्रति जांचनी।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(अज्ञेय नौगिर)
 मुख्य वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 उ०प्र० कौम्या, लाखनऊ

आज्ञा

वन संरक्षक एवं कोषाध्यक्ष

उपसंचालक एवं कोषाध्यक्ष

पत्रांक

२४४/२-३७-२

दिनांक

२४

२०१५

प्रतिनिधि

समाप्त प्रभागीय निदेशक / वनाधीनकारी

सुसमाप्त क्षेत्र में सूचनाएँ एवं आवेदन

नमस्ते हेतु सूचित

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 5-3/2011-एफ०सी० V(1-1) गार्डलाइन, लखनऊ, दिनांक: जनवरी 08, 2022

सेवा में,

1-समस्त मण्डलीय/जंगल मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र०

2-समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उ०प्र०।

3-समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निर्देशक, उ०प्र०।

विषय- भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा रिवाइज वर्तमान एन०पी०वी० की दर का अनुमान करने के संबंध में।

संदर्भ- भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग, जलवायु, जोरबाग रोड, नई दिल्ली के पत्रांक- 5-3/2011-एफ०सी० V(1-1) दिनांक 06.11.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र की (शयाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने की कृपा करें। विद्यमान प्रवर्णन में भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा वर्तमान एन०पी०वी० की दर रिवाइज की गयी है।

अतः भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा रिवाइज वर्तमान एन०पी०वी० की दर का अनुमान करने का कार्य करें।

संलग्नक-उपरोक्त अनुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 5-3/2011-एफ०सी० V(1-1) गार्डलाइन

दिनांक- 11.01.2022

प्रति नमि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं कार्ययोजना, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- प्रबंध निदेशक, उ०प्र० वन निगम, लखनऊ।
- 6- अपर प्रधान मुख्य संरक्षक प्रभागीय मुख्य वन संरक्षक/कार्यकारी अधिकारी (कैम्पा), उ०प्र०, लखनऊ।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira
Paryavaran Bhavan, Aliganj, Jorbagh Road
New Delhi-110 003

Date: 6th January, 2022

To

The Additional Chief Secretary (Forest)/Principal Secretary (Forest),
All States Governments/ Union Territory Administration

Sub: Revision of rates of Net Present Value – reg

Sir,

I am directed to invite your attention to Hon'ble Supreme Court's order dated 28.03.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1996 in the matter of T. N. Gocavarman Thirumalpad vs. Union of India and Ministry' guidelines dated 05.02.2009 wherein rates to Net Present Value (NPV) to be realized in lieu of diversion of forest land have been fixed based on the outcome scientific assessment of ecosystem goods and services. Hon'ble Supreme Court in the said order has also directed the MoEF&CC for upward revision of the NPV rates.

2. In compliance of order dated 28.03.2008 of Hon'ble Court and with the approval of the competent authority, the following revised NPV rates have been prescribed for levying NPV in lieu of diversion of forest land:

Table: Revised NPV rates based on fitment factor of 1.53

(in Rs.)

Eco-Class	Very Dense	Dense	Open
Class-I	1595790	1436670	1116900
Class-II	1595790	1436670	1116900
Class-III	1357110	1228590	957780
Class-IV	957780	861390	670140
Class-V	1436670	1292850	1005210
Class-VI	1516230	1372410	1069470

xiv. Wind Power Projects,	50% at the minimum NPV rate, provided, minimal tree felling is involved, irrespective of the eco-class in which the project lies.
xv. Hydroelectric Projects up to 25 MW capacity	50% of the applicable rates of the forest land actually diverted for setting up of such projects, provided, the project involves felling of not more than 5 trees per hectare.
xvi. Field Firing Range (FFR) of Defence Ministry not involving felling of trees and no likelihood of destruction of forests	At the rate of 20 % of the normal rates of NPV for the forest areas falling within the impact zone. The forest areas falling within safety zone of FFRs shall be fully exempted from the requirement of payment of NPV.
xvii. The area of riverbed in a proposed water reservoir, that is to be under permanent submergence throughout the year	50 per cent of the normal rate applicable to the area.

Yours faithfully,

Sd/-

(Sandeep Sharma)

Asst. Inspector General, Forests

Copy to:

1. The Principal Chief Conservator of Forests, All State Governments/UTs
2. The Nodal Officer (FCA), Office of the PCCF, All State Governments/UTs
3. The Regional Officer, All Integrated Regional Offices of the MoEF
4. Monitoring Cell, FC Division, MoEFCC, New Delhi
5. Guard File

Ecological-Class-I:	Tropical Wet Evergreen Forests, Tropical Semi-evergreen Forests and Tropical Moist Deciduous Forests
Ecological-Class-II:	Littoral and Swamp Forests
Ecological-Class-III:	Tropical Dry Deciduous Forests
Ecological-Class-IV:	Tropical Thorn Forests and Tropical Dry Evergreen Forests
Ecological-Class-V:	Sub-tropical Broad-Leaved Hill Forests, Sub-Tropical Pine Forests and Sub-Tropical Dry Evergreen Forests
Ecological-Class-VI:	Montane Wet Temperature Forests, Himalayan Moist Temperature Forests, Himalayan Dry Temperature Forests, Sub Alpine Forest, Moist Alpine Scrub and Dry Alpine Scrub

3. NPV shall be charged to the extent of ten times of the normal NPV payable in the case of National Parks and five times in the case of Sanctuaries. The use of non-forest land falling within the National Parks and Wildlife Sanctuaries may be permitted on payment of an amount equal to the NPV payable for the adjoining forest land. In respect of non-forest land falling within marine National Parks / Wildlife Sanctuaries, the amount shall be five times the NPV payable for the adjoining forest area.

4. The proposals under the following categories are exempted from NPV to the extent as mentioned in the list below:

Category	Conditions
i. Schools	Full exemption upto 1 ha. of forest land, provided a. no felling of trees is involved; b. alternate forest land is not available; c. the project is of non-commercial nature and is part of the Plan/Non-Plan Scheme of Government; and d. the area is outside National Park/ Sanctuary
ii. Hospital	
iii. Children's playground of non-commercial nature.	
iv. Community centres in rural areas.	
v. Over-head tanks	
vi. Village tanks	
vii. Laying of underground drinking water, irrigation and PNG pipeline upto 4 inch diameter	
viii. Electricity distribution line upto 22 KV in rural areas.	

x. Relocation of villages from the National Parks/ Sanctuary to alternate forest land	Full exemption												
x. Collection of boulders/silts from the river belts in the forest area.	Full exemption, provided:- (a) area is outside National Park/ Sanctuary; (b) no mining lease is approved/signed in respect of this area. (c) the works including the sale of boulders/silt are carried out departmentally or through Government undertaking or through the Economic Development Committee or Joint Forest Management Committee; (d) the activity is necessary for conservation and protection of forests; and (e) the sale proceeds are used for protection/conservation of forests.												
xi. Laying of underground optical fiber cable	Full exemption, provided: (a) no felling of trees is involved; and (b) area falls outside National Park / Sanctuary.												
xii. Pre-1930 regularization of encroachments and conversion of forest villages into revenue villages	Full exemption provided these are strictly in accordance with MoEF&CC's Guidelines dated 18.9.1990.												
xiii. Underground mining	<table> <tr> <th>Surface strain predicted by 2-D subsidence prediction model</th><th>NPV to be paid</th></tr> <tr> <td>i. Up to 5mm/m</td><td>NIL</td></tr> <tr> <td>ii. 5.1mm to 10 mm/m</td><td>10% of normal rates</td></tr> <tr> <td>iii. 11 mm/m to 15 mm/m</td><td>25% of normal rates</td></tr> <tr> <td>iv. 15 mm/m to 20 mm/m</td><td>50% of normal rates</td></tr> <tr> <td>v. more than 20 mm/m</td><td>At Normal rates</td></tr> </table>	Surface strain predicted by 2-D subsidence prediction model	NPV to be paid	i. Up to 5mm/m	NIL	ii. 5.1mm to 10 mm/m	10% of normal rates	iii. 11 mm/m to 15 mm/m	25% of normal rates	iv. 15 mm/m to 20 mm/m	50% of normal rates	v. more than 20 mm/m	At Normal rates
Surface strain predicted by 2-D subsidence prediction model	NPV to be paid												
i. Up to 5mm/m	NIL												
ii. 5.1mm to 10 mm/m	10% of normal rates												
iii. 11 mm/m to 15 mm/m	25% of normal rates												
iv. 15 mm/m to 20 mm/m	50% of normal rates												
v. more than 20 mm/m	At Normal rates												